न्यायालय लैण्ड रेकर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्रीमति भावनासिंह (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.प.संख्या 28 / 2021

प्रार्थी

कुपाराम पुत्र मगाजी कलबी आयु 62 वर्ष जाति कलबी निवासी तंवरी तहसील व जिला सिरोही (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण

1. प्रागा पुत्र रूगाजी कलबी आयु 65 वर्ष जाति कलबी निवासी तंवरी तहसील व जिला सिरोही (राज.)
2. नाथिया पुत्र रूगाजी कलबी आयु 69 वर्ष जाति कलबी निवासी तंवरी तहसील व जिला सिरोही (राज.)
3. अचला पुत्र लकमाजी कलबी 58 वर्ष, वर्ष जाति कलबी निवासी तंवरी तहसील व जिला सिरोही (राज.)
4. लालाराम पुत्र खेताजी कलबी आयु 41 वर्ष जाति कलबी निवासी तंवरी तहसील व जिला सिरोही (राज.)
5. मुपाराम पुत्र खेताजी कलबी आयु 43 वर्ष जाति कलबी निवासी तंवरी तहसील व जिला सिरोही (राज.)
6. दानाराम पुत्र खेताजी कलबी आयु 45 वर्ष जाति कलबी निवासी तंवरी तहसील व जिला सिरोही (राज.)
7. कानाराम पुत्र खेताजी कलबी आयु 39 वर्ष जाति कलबी निवासी तंवरी तहसील व जिला सिरोही (राज.)।
8. पुरीदेवी पत्नि देवारामजी पुत्री खेताजी कलबी आयु 37 वर्ष जाति कलबी हाल निवासी तंवरी तहसील सिरोही जिला सिरोही (राज.)।
9. पोसुदेवी पत्नि खेताजी कलबी आयु 59 वर्ष जाति कलबी निवासी तंवरी तहसील व जिला सिरोही (राज.)
10. थानाराम पुत्र प्रेमाराम कलबी आयु 35 वर्ष जाति कलबी निवासी तंवरी तहसील व जिला सिरोही (राज.)।

न्यायालय लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर सिरोही (राज.) सत्यमेव जयते

11. भागवन्ती पत्नि लालारामजी पुत्री प्रेमाराम कलबी आयु 31 वर्ष जाति कलबी निवासी हाल बरलुट तहसील व जिला सिरोही (राज.)।
12. कोकुबाई पत्नि प्रेमाराम कलबी आयु 56 वर्ष जाति कलबी निवासी तंवरी तहसील जिला सिरोही (राज.)।
13. अमराराम पुत्र वीरकाजी कलबी आयु 51 वर्ष जाति कलबी निवासी तंवरी तहसील व जिला सिरोही (राज.)।
14. गवरीदेवी पत्नि भूराजी पुत्री वीरकाजी कलबी आयु 46 वर्ष जाति कलबी हाल निवासी बरलुट तहसील सिरोही
15. वजाराम पुत्र अचलारामजी कलबी आयु 30 वर्ष जाति कलबी निवासी तंवरी तहसील व जिला सिरोही (राज.)
16. जोशना पुत्री अचलारामजी कलबी आयु 18 वर्ष जाति कलबी निवासी तंवरी तहसील व जिला सिरोही (राज.)
17. गवरीबाई पत्नि अचलारामजी कलबी आयु 51 वर्ष जाति कलबी निवासी तंवरी तहसील व जिला सिरोही
18. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार साहब सिरोही तहसीलव जिला सिरोही

न्यायालय लैण्ड रिकॉर्ड अधिकारी सिरोही (राज.) सत्यमेव जयते

उपस्थित :–
1. प्रार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री ऋषि माथुर
2. अप्रार्थी स्टेट की ओर से श्री पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार) सिरोही

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते दुरूस्त करने राजस्व रेकर्ड

आदेश

दिनांक 06.02.2024

प्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते दुरूस्त करने राजस्व रेकर्ड हेतु अप्रार्थी राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सिरोही के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 23.10.202 को

प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह निवेदन कि प्रार्थी और अप्रार्थी 1 एक ता 17 सत्रह के सयुंक्त स्वामित्व और कब्जे काश्त हक अधिकार की कृषि भुमि ग्राम तंवरी पटवार हल्का तंवरी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र तंवरी तहसील सिरोही जिला सिरोही (राज.) मे आई हुई है जिसके खसरा नम्बरान क्रमशः 1339 1338 कुल क्षैत्रफल 01.1400 हेक्टेयर है जिसका उल्लेख संलग्न राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2071 से संवत 2074 में किया हुआ है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के इस सेटलमेन्ट से पुर्व के खसरा नम्बरान क्रमशः 285, 286 रकबा 07 बीघा 01 बिस्वा है। पद संख्या 1 एक मे वर्णित कृषि भुमि की खातेदारी पहले मंगलसिंह पुत्र लालसिंहजी निवासी तंवरी के नाम से दर्ज थी। मंगलसिंहजी उक्त कृषि भूमि के एक मात्र खातेदार कृषक रहे है जिससे मंगलसिंहजी ने खसरा संख्या 1339 और 1338 की कृषि भूमि को रूगाजी, लखमाजी, मगाजी, वीरकाजी पिसरान कलाजी और खेता पुत्र तेजाजी को संयुक्त रूप से दिनांक 13.06.1960 तेरह जुन उन्नीस सौ नब्बे को विकृय कर कब्जा सुपूर्द कर दिया था जिससे सभी केता उक्त कृषि भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त हुए। इस प्रकार उक्त पांचो केता पद संख्या 1 एक में वर्णित कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार कृषक होने से उक्त कृषि भूमि पर पर खरीद की तिथि से अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है।

प्रार्थी ने आगे निवेदन किया की अप्रार्थी संख्या 1 एक ता 2 दो मृतक रूगाजी (रगा) कलबी के वारीसान है। अप्रार्थी संख्या 3 तीन मृतक लकमाजी (लखमा) के वारीसान है। अप्रार्थी संख्या 4 चार से 9 नौ तक खेता पुत्र तेजाजी के विधिक वारीसान है और अप्रार्थी संख्या 10 दस से 17 सत्रह तक वीरकाजी के वारीसान हैं। वीरकाजी की पत्नि उनीदेवी का नाम भी राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित है लेकिन उनीदेवी का देहान्त हो जाने से उन्हे उपरोक्त प्रकरण में पक्षकार के रूप में नही जोडा हैं। प्रार्थी उपरोक्त कृषि भूमि मे 1/5 एक बटा पांच हिस्से के केता और स्वामी है। प्रार्थी उक्त भूमि पर खरीद की तिथी से ही उक्त 1/5 एक बटे पांच हिस्से पर लगातार बिना रूकावट और शान्तिपूर्वक तरिके से अपने पिता के जरिए काबिज काश्त हैं, इसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या 1 एक ता 2 दो उक्त कृषि भूमि मे 1/5 एक बटा पाच हिस्से के खातेदार कृषक है। अप्रार्थी सख्या 3 तीन का उक्त कृषि भूमि मे 1/5 एक बटा पांच खातेदारी हक हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 4 चार से 9 नौ का उक्त कृषि भूमि मे 1/5 एक बटा पांच खातेदारी हक हिस्सा और अप्रार्थी संख्या 10 दस से 17 सत्रह का भी उक्त कृषि भूमि मे संयुक्त रूप से 1/5 एक बटा पांच खातेदारी हक हिस्सा है ।

प्रार्थी के पिता मगाजी, अप्रार्थी संख्या 1 एक ता 2 दो के पिता रूगाजी, अप्रार्थी संख्या 3 तीन के पिता लखमाजी, अप्रार्थी संख्या 4 चा से 9 नौ के पिता खेताजी, अप्रार्थी संख्या 10 दस से 17 सत्रह के पिता दादा वीरकाजी ने संयुक्त रूप से तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उक्त पांचो केताओ के नाम

राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित करवाने के लिए निवेदन किया था जिससे राजस्व अधिकारीयो ने 5 पांचो क्रेताओ मे से केवल 4 चार क्रेताओ क्रमशः रूगाजी (रगा), लकमाजी (लखमा), खेताजी और वीरकाजी के नाम तो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित कर दिए,लेकिन पाचवे क्रेता प्रार्थी के पिता मगाजी का नाम त्रुटीवश राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही सके तत्पश्चात उपतहसीलदार कालन्द्री के जरीए शुददी आदेशांक क्रमांक 1664 दिनांक 01.11.2002 द्वारा प्रार्थी के पिता मगा पुत्र कला का नाम शामिल किया गया लेकिन पुनः प्रार्थी के पिता का नाम मगा पुत्र कला का नाम राजस्व कर्मचारीयो के सहवन से हटा दिया गया जिससे मगाजी के देहान्त के बाद प्रार्थी को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा हैं और राजकीय कार्यो में बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रार्थी और उनके पिता ग्रामीण परिवेश के काश्तकार वयक्ति रहे है जिससे प्रार्थी के पिता को नामान्तकरण और कानुनी प्रकिया की विधिक जानकारी नही रही है। इसी कारण राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता मगाजी का नाम अंकित नही हो सका और मगा के बाद प्रार्थी का नाम अंकित नही हो सका हैं राजस्व अधिकारीयो द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित नही किये जाने से प्रार्थी को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा है जिसका शुददीकरण करवाया जाना प्रार्थी के लिए अतिआवश्यक हो गया है ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत खसरा नम्बरान क्रमशः 1339 और 1338 की जमाबन्दी संवत 2071 से संवत 2075 की सत्यापीत नकल, पुराने खसरा नम्बरान क्रमशः 285, 286 के जमाबन्दी संवत 2052 से संवत 2055 की सत्यापीत नकल, विक्रय विलेख दिनांक 13.06.1960 की नकल, नक्शा ट्रेस नया, खसरा मिलान क्षैत्रफल की नकल और सलग्न दस्तावेजो के अवलोकन व मनन के पश्चात प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो से यह न्यायालय प्रथम दृष्टया सहमत होने से दिनांक 01.01.2021 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब हेतु नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 17 को नोटिस तामील बावजुद अनुपस्थित। उपरोक्त प्रकरण का अप्रार्थी स्टेट को नोटिस तामील होने के पश्चात अप्रार्थी स्टेट की ओर से प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प 2021 मे तहसीलदार सिरोही ने जरिए क्रमांक/शिविर/2021/दिनांक 01.11.2021 के इस न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया जिसे पत्रावली में शामिल मिसल किया गया और उक्त जवाब को दिनांक 24.05.2022 को न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड पर लिया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब दिनांक 01.11.2021 में यह कथन किया की ग्राम तंवरी पटवार हल्का तंवरी के खसरा नम्बरान क्रमशः 1338 रकबा 0.1800 हेक्टेयर व खसरा संख्या 1339 रकबा 0.9600 हेक्टेयर कुल क्षैत्रफल 01.1400 हेक्टेयर में प्रार्थी का नाम अंकित नही है। उपरोक्त खसरा नम्बरान के सेटलमेन्ट से पुर्व के खसरा नम्बरान क्रमशः 286, 285 रकबा क्रमशः 01 बीघा 02 बिस्वा व 05 बीघा व 19 बिस्वा है मिलान क्षैत्रफल की प्रति शामिल मिसल है। मिसल में शामिल बेचान दस्तावेज संख्या

95/13.06.1960 के अनुसार खसरा नम्बर (भूप्रबन्ध से पूर्व के) 285 (05 बीघा व 19 बिस्वा) व 286 (01 बीघा 02 बिस्वा) भूमि के पूर्व रसाधिकारी मंगलसिंह पुत्र लालसिंहजी निवासी तंवरी द्वारा रगा, लखमा, मगा, वीरका पिसरान कलाजी और खेता पुत्र तेजाजी निवासी तंवरी को विक्रय किया जाना प्रमाणित है। भूप्रबन्ध से पूर्व की जमाबन्द संवत 2052 से संवत 2055 के खाता संख्या 132 (ख.स. 285 व 286) मे खातेदार प्रविष्टि ''नाथीया प्रागा पिसरान रगा, अचला पुत्र लकमा, वीरका पुत्र कला व खेता पुत्र जेता जाति कलबी'' प्रविष्टि दर्ज थी तत्पश्चात जरिए शुददी आदेशांक 1664 दिनांक 01.11.2002 (उपतहसीलदार कालन्द्री) से खाते मे प्रार्थी के पिता मगा पुत्र कला का नाम शामिल किया गया। भूप्रबन्ध मिशल बन्दोबस्त संवत 2060 से 2079 के खाता संख्या 38 में खसरा संख्या 1338 और 1339 की खातेदार प्रविष्टि नाथीया प्रागा पिसरान रगा, अचला पुत्र लकमा, वीरका पुत्र कला व खेता पुत्र जेता जाति कलबी दर्ज हुई है। अर्थात शुद्वी का आदेशांक 1664 दिनांक 01.11.2002 द्वारा जमाबन्दी संवत 2052 से 2055 (खाता संख्या 135 खसरा संख्या 285, 286) में मगा पुत्र कला की प्रविष्टि सहवन से समाविष्ट नही हुई हैं। उपरोक्त लिपीकीय त्रुटी के कारण प्रार्थी के पिता मगा पुत्र कला का नाम वर्तमान रेकर्ड में प्रविष्टी होने से रह गया है। फलस्वरूप वर्तमान खाते में पूर्व खातेदारो/रसाधिकारीयो के वंशवृक्ष अनुसार संलग्न प्रस्ताव अनुसार खातेदार का नाम/हिस्सा संशोंधित किया जाकर प्रार्थी का नाम प्रविष्टि किया जाना युक्ति युक्त है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सलग्न प्रस्ताव अनुसार खातेदार विवरण संशोंधित किया जाना अपेक्षित है।

विचारण प्रकरण में वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार की अंतिम बहस इस न्यायालय में दिनांक 06.02.24 को रखी गई जिस पर वकील प्रार्थी एंव पैरोकार सरकार ने न्यायालय में उपस्थित होकर इस प्रकरण में अंतिम बहस करने से मेरे द्वारा अंतिम बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो की पूनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि ग्राम तंवरी के खसरा नम्बरान क्रमशः 1339, 1338 कुल क्षैत्रफल 01.1400 हेक्टेयर जिनके इस सेटलमेन्ट से पुर्व के खसरा नम्बरान क्रमशः 285, 286 रकबा 07 बीघा 01 बिस्वा है। उपरोक्त वर्णित कृषि भुमि की खातेदारी पहले मंगलसिंह पुत्र लालसिंहजी निवासी तंवरी के नाम से दर्ज थी। जिससे मंगलसिंहजी ने खसरा संख्या 1339 और 1338 की कृषि भूमि को रूगाजी, लखमाजी, मगाजी, वीरकाजी पिसरान कलाजी और खेता पुत्र तेजाजी को संयुक्त रूप से दिनांक 13.06.1960 तेरह जुन उन्नीस सौ नब्बे को विकृय कर कब्जा सुपूर्द कर दिया था जिससे सभी क्रेता उक्त कृषि भूमि पर उनके हिस्से अनुसार बतौर खातेदार होकर काबिज होकर काश्त करते रहे है। उक्त पांचो क्रेताओ ने तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर विक्रय विलेख अनुसार के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित करवाने के लिए निवेदन किया था जिससे राजस्व अधिकारीयो ने 5 पांचो क्रेताओ मे से केवल 4 चार क्रेताओ क्रमशः रूगाजी (रगा), लकमाजी (लखमा), खेताजी और वीरकाजी के नाम तो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित कर दिया लेकिन पाचवे

केता प्रार्थी के पिता मगाजी का नाम त्रुटीवश राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही सके तत्पश्चात उपतहसीलदार कालन्द्री के जरीए शुद्वी आदेशांक दिनांक 01.11.2002 द्वारा प्रार्थी के पिता मगा पुत्र कला का नाम शामिल किया गया लेकिन पुनः प्रार्थी के पिता का नाम मगा पुत्र कला का नाम राजस्व कर्मचारीयो के सहवन से हटा दिया गया जिससे मगाजी के देहान्त के बाद प्रार्थी को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा हैं अतः राजस्व रेकर्ड में शुद्धि की जावे। अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जवाब में अंकित कथनो के अनुसार दुरूस्ती करने का निवेदन किया।

हमने विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली के साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा नम्बरान क्रमशः 1339 और 1338 की जमाबन्दी संवत 2071 से संवत 2075 की सत्यापीत नकल, पुराने खसरा नम्बरान क्रमशः 285, 286 के जमाबन्दी संवत 2052 से संवत 2055 की सत्यापीत नकल, विक्रय विलेख दिनांक 13.06.1960 की नकल, नक्शा ट्रेस नया, खसरा मिलान क्षैत्रफल की नकल और सलग्न दस्तावेजो तथा अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही का जवाब दिनांक 01.11.2021 का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार की उक्त बहस पर भी गंभीरता से मनन किया।

सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता मगा पुत्र कला भी बेचान दस्तावेज संख्या 95/13.06.1960 के अनुसार उपरोक्त कृषि भूमि स्वामी बने है लेकिन उनका नाम भूप्रबनध के दौरान लिपिकीय त्रुटी से राजस्व रेकर्ड मे अंकित नही हुआ है अतः उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में हूई त्रुटी की श्रेणी में आने से न्यायहीत में प्रार्थी के उपरोक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रेकर्ड से प्रार्थी का नाम सम्पूर्ण कृषि भूमि मे उनके हिस्सेअनुसार अंकित जाने व उसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाये तो कोई आपत्ती नही है।

अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 के तहत विरूद्ध स्टेट बाबत राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करवाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (उप तहसीलदार कालन्द्री) को आदेश दिया जाता है कि ग्राम तंवरी पटवार हल्का तंवरी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र तंवरी तहसील सिरोही जिला सिरोही (राज.) मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बरान क्रमशः 1339 रकबा 0.9600 हेक्टेयर व खसरा संख्या 1338 रकबा 0.1800 हेक्टेयर कुल क्षैत्रफल 01.1400 हेक्टेयर है जिसके सेटलमेन्ट से पुर्व के खसरा नम्बरान 285, 286 कुल रकबा 07 बीघा 01 बिस्वा है उपरोक्त राजस्व रेकर्ड मे बेचान दस्तावेज संख्या 95/13.06.1960 के अनुसार प्रार्थी कुपाराम पुत्र मगाजी कलबी निवासी तवंरी का नाम उनके हिस्से अनुसार अंकित किए जाने उसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र इस न्यायालय में भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। निर्णय सरे ईलजास सुनाया गया। निर्णय मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर सिरोही (राज.) सत्यमेव जयते

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)